FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांट:–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
पुखराज राईका पुत्र श्री वीराराम राईका परशुराम बगेची का झूपा, सादड़ी तहसील–देसूरी, जिला–पाली		लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 38 /2020

R.C.M.S. No. -2020/00167

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/8/20	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी(अतिरिक्त जिला कलेक्टर), पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट से सूचना उपलब्ध करवाई गई अथवा नही एवं नहीं करवाई गई तो क्या कारण रहे। तुरन्त अपीलांट को निःशुल्क सुचना उपलब्ध करवाई जाकर प्रत्युतर प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 4/9/20 को पेश हो। Sd/- जिला कलेक्टर, पाली	912, 913 25/8/20
4/9/20	पत्रावली आज पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली ने जरिये पत्रांक रा.लो.सू.अ./(6)(3)144/2020/1281 दिनांक 27/8/2020 के द्वारा अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना नगरपालिका, सादड़ी से संबंधित होने के कारण उन्होंने सूचना प्रा. पत्र RTI Act [illegible] अंतरित कर दिया। चूंकि अधिकारी [illegible] नगरपालिका सादड़ी के विरुद्ध [illegible] क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है अतः अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। पत्रावली [illegible] फैसल होकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो। Sd/- जिला कलेक्टर, पाली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:32:14 IST
Reason: SelfAttested